

अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर,  
मेरठ, वाराणसी जोन- द्वितीय,  
कानपुर- द्वितीय, इटावा।

कृपया सूची में अंकित आपके जोन से सम्बन्धित प्रकरणों का अवलोकन करना चाहें, जो मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित है तथा जिनका निस्तारण किये जाने हेतु प्रकरण मुख्यालय प्रेषित किया गया था, प्रकरणों का परीक्षण करने पर कालम संख्या-5 में अंकित आपत्तियाँ प्रकाश में आयी हैं :-

क०सं०	जोन का नाम	मृतक/व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु दिनांक	आपत्ति
1	मेरठ	स्व० श्री शान्ति लाल जैन	सर्वश्री पारस हैण्डलूम, मेरठ	09-06-2025	प्रश्नगत प्रकरण में दावा दायर करने में 17 दिन का विलम्ब हुआ है। जिसके सम्बन्ध में अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, मेरठ जोन मेरठ द्वारा कोई संस्तुति प्रदान नहीं की गयी है। प्रकरण में पोस्टमार्टम एवं पंचनामा रिपोर्ट संलग्न नहीं है तथा प्रकरण में दावा पुत्र द्वारा किया गया है। जिसके सम्बन्ध में कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
2	वाराणसी	स्व० श्री मनोज कुमार जायसवाल	सर्वश्री प्रेम चन्द्र मनोज कुमार, सोनभद्र	17-11-2025	प्रश्नगत प्रकरण में जी०डी०/एफ०आई०आर की प्रति संलग्न नहीं है।
3	कानपुर	स्व० श्री प्रगत सिंह कटियार	सर्वश्री मॉ पीताम्बरा इण्टरप्राइजेज, कानपुर	15-12-2023	प्रश्नगत प्रकरण में आयुक्त महोदय द्वारा विलम्बमर्षण किया जा चुका है, परन्तु विलम्बमर्षण के पश्चात् समिति की नवीन रिपोर्ट संलग्न नहीं की गयी है तथा परिवार रजिस्ट्रार की अद्वयन सूची संलग्न नहीं है।
4	इटावा	स्व० श्री सत्यनारायण	सर्वश्री माता रानी ट्रेडर्स, कन्नौज	29-08-2024	प्रश्नगत प्रकरण में मुख्यालय के पत्र संख्या-04 दिनांक 01.04.2026 के द्वारा प्रकरण में दर्ज एफ०आई०आर० की अद्वयन स्थिति से अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जो अभी अप्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरणों में दावेदार से स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रकरण मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण का ससमय निस्तारण किया जा सके।  
उक्त पत्र आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(धनन्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1- संयुक्त आयुक्त(कार्य०), राज्य कर, मेरठ-ए, मीरजापुर, कानपुर-डी एवं इटावा।

2- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अपर आयुक्त, राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।